



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)  
Ministry of Environment, Forests & Climate Change  
Regional Office (Central Region)



जहाँ है दरियाती ।  
वहाँ है सुरदाती ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगढ़, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeftolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/48/2015/एफ.सी. 11032

दिनांक:

03/12/15

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),  
वन अनुभाग, बापू भवन,  
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय : अलीगढ़ में पलवल-टप्पल-अलीगढ़ एस०एच०-22ए किमी० 62.5 की बांयी पटरी पर ग्राम-अरना के खसरा संख्या-203 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि० के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.072 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 09 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक- पी०-63/14-2-2015-800(114)/2015, दिनांक- 30.10.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. भाग-11 में उल्लिखित वृक्षों के पातन का ब्यौरा प्रस्ताव के पृष्ठ 20 में उपलब्ध करायी गयी स्थल निरीक्षण आख्या से मेल नहीं खाता है।
2. प्रस्ताव के भाग-III एवं भाग- IV में मूल प्रपत्र नहीं उपलब्ध कराये गये हैं।
3. प्रस्ताव में कई जगहों पर प्रभागयी वनाधिकारी की मोहर नहीं लगी हुई है।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ-26 में उपलब्ध करायी गयी वन भूमि की गणना गलत है। यह पृष्ठ 51 में उपलब्ध कराये गये रिटेल आउटलेट के स्वीकृत ले आउट प्लान से मेल नहीं खाती है।
5. प्रस्ताव में संलग्न प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के भूसंदर्भित मानचित्र में प्रवेश एवं निकास की वकता से संबंधित दो बिन्दुओं के संदर्भ को दर्शाया जाना आवश्यक है।
6. प्रस्ताव के पृष्ठ 45 में उपलब्ध कराया गया स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध नहीं कराया गया है।
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये गये स्थल को भूसंदर्भित मानचित्र में गुगल मानचित्र पर नहीं दर्शाया गया है।
8. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी वन भूमि को भूसंदर्भित मानचित्र के साथ डिजीटल रूप में KML/KMZ फाइल में उपलब्ध नहीं कराया गया है।
9. एन०पी०वी० की गणना इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के अनुसार करते हुए संशोधित गणना की आवश्यकता है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।


भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

12/12/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़, उ० प्र०।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, उ० प्र०।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।



(बृजेन्द्र स्वरूप)

वन संरक्षक {केन्द्रीय}